



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 969/2008

याचिकाकर्तागण/वादी:

1. राधेलाल, पिता जगमोहन, आयु लगभग 65 वर्ष।
2. इंदुमती, आयु लगभग 85 वर्ष, पति स्व. श्यामलाल।
3. गुरुशरण, पिता श्यामलाल, आयु लगभग 50 वर्ष।
4. महेश्वर, पिता श्यामलाल, आयु लगभग 45 वर्ष।
5. पालेश्वर, पिता श्यामलाल, आयु लगभग 40 वर्ष।
6. प्यारेलाल, पिता जगमोहन, आयु लगभग 60 वर्ष।

सभी याचिकाकर्तागण जाति गाबेल, व्यवसाय: कृषि, निवासी ग्राम
बड़ेपदरमुदार, तहसील शक्ति, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. पदुमलाल, पिता शिवप्रसाद, आयु लगभग 30 वर्ष।
2. खोलबाहरा, पिता शिवप्रसाद, आयु लगभग 45 वर्ष।
3. सम्मेलाल, पिता शिवप्रसाद, आयु लगभग 38 वर्ष।
4. जवाहर, पिता शिवप्रसाद, आयु लगभग 33 वर्ष।
5. सगुनलाल, पिता शिवप्रसाद, आयु लगभग 27 वर्ष।
6. जुनाबाई, पति स्व. शिवप्रसाद, आयु लगभग 70 वर्ष।
7. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

सभी याचिकाकर्तागण जाति सतनामी, निवासी ग्राम बड़ेपदरमुदार, तहसील
शक्ति, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)



रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 969/2008

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन प्रस्तुत रिट याचिका

उपस्थिति:

श्री एस.आर.जे. जायसवाल, याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता।

श्री सुमेश बजाज, राज्य हेतु शासकीय अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(दिनांक 15.02.2008)

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश:

तर्कों का श्रवण किया गया।

याचिकाकर्तागण/वादीगण ने व्यवहार वाद क्रमांक 220-ए/2002 में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, शक्ति द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 24.01.2008 की विधिमान्यता को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन यह रिट याचिका प्रस्तुत की है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त आदेश द्वारा, विचारण न्यायालय ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 नियम 1 के अधीन प्रस्तुत उनके आवेदन को अस्वीकार करने के पश्चात वादीगण के साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधिकार को समाप्त कर दिया है।

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया मुख्य आधार यह है कि वादीगण को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कई स्थगन दिए गए थे, परंतु चूंकि वे अपने साक्षियों को प्रस्तुत नहीं कर



सके, इसलिए उन्हें कोई और अवसर नहीं दिया जाना चाहिए, जो कि विधि के अनुरूप नहीं है। उन्होंने तर्क दिया है कि वास्तव में, विचारण न्यायालय को वादीगण द्वारा किसी विशेष दिन स्थगन लेने के लिए दर्शाए गए कारण को देखना चाहिए था और उसे उस तिथि से परे की परिस्थितियों में नहीं जाना चाहिए था जिस दिन स्थगन मांगा गया था। उन्होंने **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विरुद्ध चंद्रा गोविंदजी (कुमारी) (2000) 8 एस.सी.सी. 532** के प्रकरण में दिए गए विनिश्चय का अवलंब लिया है।

मैंने याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विस्तार से सुना है

और रिट याचिका के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि यह प्रकरण वादी के साक्ष्य हेतु कई बार नियत किया गया था और 5 अवसरों पर अर्थात् दिनांक 25.02.2005, दिनांक 08.02.2006, दिनांक 08.03.2006, दिनांक 04.04.2006 और दिनांक 11.10.2006 को वादीगण के साक्षी उपस्थित थे, परंतु इन तिथियों पर या तो प्रतिवादीगण द्वारा स्थगन मांगे जाने के कारण या न्यायालय के पास समय के अभाव के कारण उनके साक्ष्य अभिलिखित नहीं किए जा सके। अतएव, यह नहीं कहा जा सकता कि वादीगण अपने प्रकरण के संचालन में रुचि नहीं ले रहे थे और वे न्यायालय के समक्ष अपने साक्षी प्रस्तुत नहीं कर रहे थे, अपितु, ऐसा प्रतीत



होता है कि उन्होंने कई बार अपने साक्षी प्रस्तुत किए थे, परंतु किसी न किसी आधार पर उनके साक्ष्य अभिलिखित नहीं किए जा सके।

इसके अतिरिक्त, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विरुद्ध चंद्रा गोविंदजी (कुमारी) (पूर्वोक्त) के प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 नियम 1 के संदर्भ में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 7 में यह अभिनिर्धारित किया कि यह सुनिश्चित करने में कि किसी पक्षकार को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिला है या नहीं, सामान्यतः उस तिथि से आगे नहीं जाना चाहिए जिस दिन स्थगन मांगा गया है। यदि स्थगन मांगे जाने की तिथि पर संबंधित पक्षकार के पास उचित आधार है, तो पूर्व में दिए गए स्थगन, यदि कोई हों, निश्चित रूप से उचित आधारों पर दिए गए होंगे और उस पहलू की पुनः जांच करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र यह तथ्य कि अतीत में स्थगन मांगे गए थे, तात्विक नहीं होगा। यदि स्थगन तुच्छ आधारों पर मांगा गया होता तो उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था।

वर्तमान प्रकरण में, मामले की सुनवाई की तिथि पर, याचिकाकर्ता ने एक आवेदन प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया था कि वादीगण के परिवार में कोई मृत्यु हो गई थी और उक्त तिथि पर, 10वां दिन (दशगात्र) संस्कार चल रहा था, इसलिए वादीगण और उनके साक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं और इस आधार पर स्थगन मांगा गया था।



इस न्यायालय के अभिमत में, यदि वादीगण द्वारा उठाए गए आधारों को तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं पाया गया है, तो यह वादीगण के लिए विचारण न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने हेतु एक युक्तियुक्त और पर्याप्त आधार था। विचारण न्यायालय ने वादीगण को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान न करके विधिक त्रुटि की है और इस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

तदनुसार, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 24.01.2008 एतद्वारा अपास्त किया जाता है।

यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय वादी के साक्ष्य हेतु एक नई तिथि निर्धारित करेगा और उस तिथि पर, वादीगण अपने सभी साक्षियों का परीक्षण कराएंगे और उन्हें अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कोई और स्थगन नहीं दिया जाएगा। यदि वादीगण का साक्ष्य एक दिन में पूर्ण नहीं होता है, तो यह पूर्ण होने तक आगामी तिथियों पर भी जारी रहेगा। तत्पश्चात, प्रकरण प्रतिवादीगण के साक्ष्य हेतु नियत किया जाएगा और वाद का विनिश्चय विधि के अनुसार किया जाएगा।

यह निर्देशित किया जाता है कि यह आदेश वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को 1000/- रुपये वाद-व्यय के संदाय के अधीन होगा, जो उनके द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित साक्ष्य की तिथि से पूर्व संदत्त/जमा किया जाएगा,



अन्यथा यह आदेश प्रभावी नहीं होगा। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

